भगवान सहाय वि० बिरदीचन्द

मु० 48/27/14

23/5/17 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी के अधिवक्ता हाजिर नहीं। ... बावजूद तामील/सूचना के अनु०। जबकि प्रकरण में Rajssm पोर्टल के जरिये SMS पेशी की सूचना बाबत ... दिया गया है। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय का प्रतिवादीगण को भी सूचना/नोटिस ... वाद की निषेधाज्ञा ... अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अवगत कराने हेतु तलबाने पेश करने हेतु वादी को दिनांक 13-1-16 को आदेशित किया गया था। जिसकी पालना आदिनांक तक नहीं की गई है। जबकि न्यायालय आदेश की पालना सात दिवस के भीतर नोटिसेज/तलबाने पेश करने होते हैं। प्रकरण में वादी वाद का संचालक होता है लेकिन पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी का प्रथम दृष्टया प्रयोजन मात्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा लेना था। जबकि पत्रावली वर्तमान में फास्ट ट्रैक न्यायालय में दायर है जिसका मूल उद्देश्य प्रकरणों का गुणावगुण पर त्वरित निस्तारण करना है। लेकिन प्रकरण में आदिनांक तक भी नोटिसेज/तलबाने पेश नहीं करना प्राकृतिक न्याय का सामान्य सिद्धान्त ही विफल हो जायेगा। प्रकरण दिनांक 30-9-14 से दायर होकर आदिनांक तक भी तलबी में चल रहा है जो की गंभीर है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता की अनुपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

न्यायिक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रैक
चौमूं (जयपुर)